न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

2025/221

मु0 न0 48/2025 तारीखरजू- 17/6/25

उनवान:- अल्लानूर बनाम भुल्ला वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम	
17/6/25	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हरसराम गूर्जर एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायल को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए **अप्रार्थीगण को आगामी पेशी** तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादग्रस्त आराजी ख0न0 939 रकबा 0.23 है0 ग्राम माचडी तहसील टोडाभीम मे मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ-साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 21.07.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (पूजा मीना) उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	3076-77 17/6/25
21/7/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित अप्रार्थी न0 2 के नोटिस तामील होकर प्राप्त नहीं हुवे। वास्ते तलबी दिनांक 1.9.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	[illegible]

दिनांक	फर्द अहकाम
1.9.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित अप्रार्थी नं. 1 के नोटिस की तामील डाक से की पत्रावली में स्वयं के द्वारा होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। बावजूद सूचना के कोई भी उपस्थित नहीं हुआ तहसीलदार [illegible] के नोटिस की तामील होकर प्राप्त नहीं हुई है वास्ते तलबी अप्रार्थी नं. दिनांक 14.10.25 को पेश हो। पुनश्च इतना लिखने के उपरान्त तहसीलदार से नोटिस की तामील होकर प्राप्त हुई है जो शामिल पत्रावली रहे। वास्ते जवाब दिनांक 14.10.25 को पेश हो।
14.10.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। वास्ते जवाब दिनांक 10.12.25 को पेश हो।
10/12/25	पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। मतानुसार दिनांक 16/1/26 को पेश हो।
16.1.26	पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। मतानुसार दिनांक 16.2.26 को पेश हो।
	...रो/वकील उभय पक्ष उपस्थित। ... अधिकारी राजस्व [illegible] द्वारा पधारे पत्रावली मतानुसार दिनांक 17.2.26 को पेश हो।
17.2.26 Not press, [illegible]	पत्रावली पेश हुई वादी वकील ने इस बाबत दरख्वास्त पेश की कि उन्हें पत्रावली में आगे मुकदमा नहीं लड़ना चाहते हैं आवेदन पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला-करौली

दिनांक	फर्द अहकाम
	उपस्थित होकर प्रार्थी वकील ने बयान पेश किया एवं उक्त पत्रावली को नोट केस में खारिज करने का निवेदन किया। प्रार्थी वकील के प्रार्थना पत्र को नोट केस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर नम्बर से कम कर शामिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-करौली